

प्रश्न सं. [क. 2704]

तारीख ५ अप्रैल 2024
मानविकी श्री दिव्या राम मुन्नु
सचिव मेरठ लेटे कारोड़. भृगु



मध्यप्रदेश शासन

उर्जा विभाग

मंत्रालय

आदेश

पारांगत

परिवर्तन

1/3

भोपाल, दिनांक 217 MAY 2022

क्रमांक एफ 3-08/2021/तोरह/04 :- राज्य शासन ने एतदद्वारा निर्णय लिया है कि म.प्र. विद्युत नियामक आयोग के आदेश दिनांक 31.03.2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये निर्धारित दरों में प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गृह ज्योति योजना में स्वीकृत सब्सिडी के अतिरिक्त निम्नानुसार उल्लेखित उपभोक्ता श्रेणियों को सब्सिडी देते हुए इसके एवज में विद्युत वितरण कंपनियों को सब्सिडी दी जावे:-

क्र.	उपभोक्ता श्रेणी	नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर (रु. प्रति यूनिट एवं अन्य प्रभार)	सब्सिडी (रु. प्रति यूनिट एवं अन्य प्रभार)	सब्सिडी के उपरांत प्रभावी दर (रु. प्रति यूनिट)
1	2	3	4	5
1	निम्नानुसार कृषि उपभोक्ताओं हेतु सब्सिडी (एफ.सी.ए. सहित)			
(क)	(i) 10 हार्सपावर तक की क्षमता वाले मीटर रहित स्थायी कृषि उपभोक्ताओं से फ्लैट दर पर 750 रुपये प्रति हार्सपावर प्रतिवर्ष लिये जाने के एवज में सब्सिडी (ii) 10 हार्सपावर से अधिक क्षमता वाले मीटर रहित स्थायी कृषि उपभोक्ताओं से फ्लैट दर पर 1500 रुपये प्रति हार्सपावर प्रतिवर्ष लिये जाने के एवज में सब्सिडी			
(ख)	10 हार्सपावर तक की क्षमता वाले मीटरयुक्त स्थायी कृषि पंप			
	(i) प्रथम 300 यूनिट प्रतिमाह तक की खपत पर	4.79 + एफ.सी.ए + फिक्स्ड मासिक चार्ज रु. 58/- प्रति हार्सपावर	3.80 + एफ.सी.ए + फिक्स्ड मासिक चार्ज रु. 58/- प्रति हार्सपावर	0.99
	(ii) 301 से 500 यूनिट प्रतिमाह तक की खपत पर	5.82 + एफ.सी.ए + फिक्स्ड मासिक चार्ज रु. 74/- प्रति हार्सपावर	4.65 + एफ.सी.ए + फिक्स्ड मासिक चार्ज रु. 74/- प्रति हार्सपावर	1.17
	(iii) 501 से 750 यूनिट प्रतिमाह तक की खपत पर	5.82 + एफ.सी.ए + फिक्स्ड मासिक चार्ज रु. 74/- प्रति हार्सपावर	4.58 + एफ.सी.ए + फिक्स्ड मासिक चार्ज रु. 74/- प्रति हार्सपावर	1.24
	(iv) 750 यूनिट प्रतिमाह से अधिक की खपत पर	6.10 + एफ.सी.ए + फिक्स्ड मासिक चार्ज रु. 81/- प्रति हार्सपावर	4.85 + एफ.सी.ए + फिक्स्ड मासिक चार्ज रु. 81/- प्रति हार्सपावर	1.25
(ग)	10 हार्सपावर से अधिक क्षमता वाले मीटरयुक्त स्थायी कृषि पंप			
	(i) प्रथम 300 यूनिट प्रतिमाह तक की खपत पर	4.79 + एफ.सी.ए + फिक्स्ड मासिक चार्ज रु. 58/- प्रति हार्सपावर	2.70 + एफ.सी.ए + फिक्स्ड मासिक चार्ज रु. 58/- प्रति हार्सपावर	2.09

२/३

	(iii) 301 से 500 यूनिट प्रतिमाह तक की खपत पर	5.82 + एफ.सी.ए + फिल्स्ट मासिक चार्ज रु. 74/- प्रति हार्सेपावर	3.25 + एफ.सी.ए + फिल्स्ट मासिक चार्ज रु. 74/- प्रति हार्सेपावर	2.57
	(iii) 501 से 750 यूनिट प्रतिमाह तक की खपत पर	5.82 + एफ.सी.ए + फिल्स्ट मासिक चार्ज रु. 74/- प्रति हार्सेपावर	3.10 + एफ.सी.ए + फिल्स्ट मासिक चार्ज रु. 74/-	2.72
	(iv) 750 यूनिट प्रतिमाह से अधिक की खपत पर	6.10 + एफ.सी.ए + फिल्स्ट मासिक चार्ज रु. 81/- प्रति हार्सेपावर	3.45 + एफ.सी.ए + फिल्स्ट मासिक चार्ज रु. 81/- प्रति हार्सेपावर	2.65
(d)	अस्थायी कृषि पंप संयोजन (मीटरयुक्त एवं मीटर रहित)			
	(i) 10 हार्सेपावर तक की क्षमता हेतु	6.10 + एफ.सी.ए + फिल्स्ट मासिक चार्ज रु. 81/- प्रति हार्सेपावर	3.93 + एफ.सी.ए + फिल्स्ट नासिक चार्ज रु. 81/- प्रति हार्सेपावर	2.17
	(ii) 10 हार्सेपावर से अधिक क्षमता हेतु	6.10 + एफ.सी.ए + फिल्स्ट मासिक चार्ज रु. 81/- प्रति हार्सेपावर	1.75 + एफ.सी.ए + फिल्स्ट मासिक चार्ज रु. 81/- प्रति हार्सेपावर	4.35
(e)	डीटीआर मीटर द्वारा विद्युत प्रदाय (वर्तमान में कोई उपभोक्ता नहीं)	4.59 + एफ.सी.ए.	1.95 + एफ.सी.ए.	2.64
(f)	1 हेक्टेयर तक की भूमि वाले 5 हार्सेपावर तक के अनुरूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के स्थायी कृषि पंप उपभोक्ताओं को निःशुल्क विद्युत प्रदाय (मीटरयुक्त एवं मीटर रहित)			
	(i) पथम 300 यूनिट प्रतिमाह तक की खपत पर	4.79 + एफ.सी.ए + फिल्स्ट मासिक चार्ज रु. 58/- प्रति हार्सेपावर	4.79 + एफ.सी.ए + फिल्स्ट मासिक चार्ज रु. 58/- प्रति हार्सेपावर	0
	(ii) 301 से 750 यूनिट प्रतिमाह तक की खपत पर	5.82 + एफ.सी.ए + फिल्स्ट मासिक चार्ज रु. 74/- प्रति हार्सेपावर	5.82 + एफ.सी.ए + फिल्स्ट मासिक चार्ज रु. 74/- प्रति हार्सेपावर	0
	(iii) 750 यूनिट प्रतिमाह से अधिक खपत पर	6.10 + एफ.सी.ए + फिल्स्ट मासिक चार्ज रु. 81/- प्रति हार्सेपावर	6.10 + एफ.सी.ए + फिल्स्ट मासिक चार्ज रु. 81/- प्रति हार्सेपावर	0
2.	उच्चदाव उद्वहन/समूह सिंचाई उपभोक्ताओं को वार्षिक न्यूनतम प्रभार से छूट तया ऊर्जा प्रभार में 190 ऐसे प्रति यूनिट की छूट देने हेतु सन्स्थाएँ।			

मध्यप्रदेश के राज्यपात्र के नाम से
तथा आदेशानुसार


 (संजय दुबे)
 प्रमुख सचिव
 म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग

(3/3)

पृ.क्रमांक एफ-3-08/2021/तेरह/04

भोपाल, दिनांक 27 MAY 2022

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र. शासन, मंत्रालय भोपाल।
5. प्रबंध संचालक, एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
6. प्रबंध संचालक, म.प्र. पूर्व / मध्य / पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर / भोपाल / इंदौर - निर्देशानुसार कृपया राज्य शासन के आदेश का पालन सुनिश्चित करने तथा विद्युत देयकों में राज्य शासन द्वारा दी जा रही सविसडी की राशि का अनिवार्यतः उल्लेख करने हेतु अनुरोध है।
7. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन, मंत्रालय भोपाल।
8. आयोग सचिव, म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, भोपाल।

अनुभूति अधिकारी
जर्जा विभाग
मंत्रालय, म.प्र. शासन, भोपाल